

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....

आदेश

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~का~~ ^{जमावली} व मू.अ.नि. ~~का~~ ^{जमावली} रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~को~~ ^{हो} / नायब तहसीलदार ~~की~~ ^{की} अनुमति के आधार पर राजस्वधन मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम ~~का~~ ^{का} पं० नं० ~~का~~ ^{का} तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमावली संवत् 2021 में खाता संख्या 87 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	ग्राम / पं० नं०	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सुराणा	खाता संख्या - 87	दावकी डेवी फकीरदाराम	दावकी डेवी फकीरदाराम

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 08.12.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 848

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर